2017/00558

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री मामराज पुत्र मालाराम निवासी वी.पी.ओ.जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 288 / 17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

08.01.18

1. अपीलार्थी के प्रतिनिधि श्री हनुमानसिंह एवं लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। बहस सुनी गई।

2. अपीलार्थी के प्रतिनिधि ने आवेदन–पत्र दिनांक 16.10.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर से चाही गई थी। वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने अपने जवाब पत्रांक 586 दिनांक 18.12.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी के आवेदन–पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना पत्र संख्या 547 दिनांक 09.11.17 द्वारा उपलब्ध करवादी गई है। बिन्दु संख्या 3 में अस्थाई चार्ज राधाकिशन डीपो होल्डर है, बिन्दु संख्या 4 व 5 प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना दी जाना संभव नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. इसके विपरीत अपीलार्थी के प्रतिनिधि ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रेषित की गई सूचना पूर्ण नहीं है। प्रार्थी/अपीलार्थी ने जिस प्रकार से सूचना चाही है, उसके अनुरूप नहीं दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी व जिला रसद अधिकारी, बीकानेर से दिलवाई जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को प्रेषित की गई सूचना पूर्ण नहीं है व ना ही अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाना हम न्यायोचित पाते है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के आवेदन–पत्र का निस्तारण 15 दिवस के अंदर किया जा कर इसकी सूचना रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 08.01.18 को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर